7.05.22 — अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनवान प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट अपीलांट है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा इन्तकाल संख्या 109 को चुनौती दी गयी है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। इस कारण अपीलांट उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पत्रावली आज पेशी में लेकर उक्त अपील में अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण खारिज फरमायी जावें। अतः अधिवक्ता अपीलांट एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विड्रॉ करने के कारण अपील खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

27/5/22
(K. S. S...)
Adv.